भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 489
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: व्यापक फसल बीमा

489.श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फसल बीमा के प्रावधानों को लचीला बनाकर उन्हें और ज़्यादा व्यापक बनाया है;

(ख) क्या सरकार ने फसल बीमा में वन्य जीवों और जलभराव से होने वाली क्षति को भी शामिल किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का किसानों को फसल बीमा का शीघ्र भुगतान किए जाने और लंबित मामलों के निपटान के लिए कोई पहल करने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), जिसका शुभारंभ देश में वर्ष 2016-17 में हुआ है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक गैर-निवारणीय प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। वन्य जीवों के कारण फसलों को होने वाली क्षति, निवारणीय प्रकृति की होने के कारण पहले इसमें शामिल नहीं थी। हालांकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर वन्य जीवों द्वारा होने वाली क्षति को अतिरिक्त बीमा के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इस प्रकार के कवरेज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में दिया गया है।

बाढ़ से होने वाली क्षति को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत अधिसूचित सभी फसलों को रिस्क कवर में शामिल किया गया है। तथापि, धान, जूट, मेस्ता और गन्ना जैसी हाइड्रोफिलिक फसलों के लिए यह कवर केवल स्थानीय दावों के मामलों में ही उपलब्ध है।

PMFBY में स्थानीय आपदाओं के अंतर्गत इन जोखिमों को शामिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, "धान की फसल के लिए स्थानीय जोखिम के अंतर्गत वन्य जीवों के आक्रमण और बाढ़ से होने वाले फसल के नुकसान के तरीकों को परिभाषित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने इन जोखिमों के कवरेज के लिए सिफारिशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

इसके अतिरिक्त, फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हितधारकों/अध्ययनों के सुझावों/अभ्यावेदनों/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं। प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर, बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान-हितैषी बनाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2018, 2020 और 2023 में पीएमएफबीवाई के प्रचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है।

(घ): बीमा कंपनियों द्वारा योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिकांश दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है। हालाँकि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मुख्यतः **(क) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी करने (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान करना (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि थीं।** इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- सरकार ने **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** के विकास का कार्य प्रारंभ किया है, जो सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने वाले डेटा के एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा। इसमें किसानों का प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए अलग-अलग बीमित किसान के विवरण को अपलोड करना/प्राप्त करना और दावा राशि को निजी किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित करना सुनिश्चित करना शामिल है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इसमें खरीफ 2024 से सभी दावों के समय पर और पारदर्शी प्रोसेसिंग को सुनिश्चित करने के लिए एनसीआईपी को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ समेकित करना शामिल है।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से पृथक कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, किसानों के दावों के समय पर निपटान में सुधार लाने के लिए उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोगों (CCE) डेटा को CCE-Agri ऐप के माध्यम से एकत्र करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, राज्य भूमि अभिलेखों को NCIP के साथ समेकित करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।
- यदि बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में बिलंब करने पर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से स्वत: गणना करते हुए 12% का जुर्माना लगा दिया जाता है।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से अपने प्रीमियम हिस्से को जमा करने के लिए एस्क्रो खाता खोलना खरीफ 2025 सीजन से अनिवार्य कर दिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत, हाल ही में वर्ष 2023-24 से फसल क्षति एवं हानि के वस्तुगत आकलन तथा पारदर्शिता हेतु निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **YES-TECH (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** का उपयोग रिमोट सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर क्रमिक रूप से अपनाया जाना है, ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें उपज आकलन में 30% भारांश अनिवार्य रूप से YES-TECH से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ 2024 से सोयाबीन की फसल को भी इसमें शामिल किया गया है।

ii. ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना तक स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और ऑटो-मेटेड रेन गेज (ARG) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु **WINDS (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** है। यह डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतरप्रचालनीयता और डेटा साझा करने की सुविधा वाले राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

******